भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1097

दिनांक 25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जारी केंद्रीय निधि

†1097. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

श्री नरेश गणपत म्हस्केः

श्री राजेश वर्माः

श्रीमती शांभवीः

श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2014 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत जारी केंद्रीय निधि के हिस्से में 185 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी है और यदि हाँ, तो इस वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए इन बढ़े हुए आवंटनों के माध्यम से किन विशिष्ट पहलों/कार्यक्रमों को वित्त पोषित किया गया है;

(ग) क्या आने वाले वर्षों में इस वित्त पोषण प्रवृत्ति को बनाए रखने या और बढ़ाने की योजना है, और यदि हाँ, तो अनुमानित राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) वित्त पोषण में इस वृद्धि से विभिन्न राज्यों, विशेषकर कम सेवा वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिणामों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ने की उम्मीद है; और

(ङ) क्या सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में इस निधि की प्रभावशीलता के बारे में राज्य सरकारों से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): समान मूलक, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहा है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने

के लिए तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2024-25 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत केंद्र द्वारा जारी निधियों का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

वित्त वर्ष	केंद्र द्वारा जारी की गई निधि
2014-15	18,039.26
2015-16	18,971.49
2016-17	20,916.63
2017-18	26,842.22
2018-19	26,363.24
2019-20	30,836.88
2020-21	31,278.84
2021-22	27,447.56
2022-23	31,278.84
2023-24	33,042.62
2024-25	36,529.14

स्रोत: बजट अनुमान की स्थिति, वित्त मंत्रालय।

इसके अलावा, एनएचएम के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 39,663.73 करोड़ रुपये का केंद्रीय आवंटन निर्धारित किया गया है।

"जन स्वास्थ्य और अस्पताल" राज्य का विषय है, जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ बनाने का प्राथमिक उत्तरदायित्व, जिसमें ग्रामीण और अल्पसेवित स्वास्थ्य क्षेत्र में मौजूदा असमानताओं को दूर करने के प्रावधान शामिल हैं , संबंधित राज्य सरकारों का है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करती है।
एनएचएम के अंतर्गत प्रदान किए गए अनुमोदनों का विवरण नीचे दिए गए लिंक से प्राप्त किया जा सकता है:
https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744 .

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए स्वास्थ्य अवसंरचना और मानव संसाधन पर विस्तृत रिपोर्ट द हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया (अवसंरचना और मानव संसाधन) रिपोर्ट से प्राप्त की जा सकती है, लिंक नीचे दिया गया है:
https://www.mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

एनएचएम के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से बातचीत की जाती है। एनएचएम के कार्यान्वयन और प्रगति का आकलन करने के लिए विभिन्न तंत्र मौजूद हैं, जैसे:

• एनपीसीसी बैठकों के दौरान पिछले वित्तीय वर्ष की कार्यवाही के रिकॉर्ड के प्रमुख बिन्दुओं की समीक्षा करना,
• राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नियमित रूप से सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) आयोजित किए जाते हैं जो वित्तीय प्रणालियों और इस कार्यक्रम के वास्तविक कार्यान्वयन पर नज़र रखते हैं । सीआरएम पर रिपोर्ट नीचे दिए गए लिंक से देखी जा सकती हैं:
https://www.nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=795&lid=195 .
• राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मासिक आधार पर वित्तीय निगरानी रिपोर्ट (एफएमआर) प्रस्तुत की जाती हैं।
• वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को आगामी किश्तें जारी की गईं।

इसके अलावा, समीक्षा बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंस और वरिष्ठ अधिकारियों के क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है।

*****